अंक-संख्या–304

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 561
लाइसेन्स नं. डब्लू. पी.–41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 14 मार्च, 1995

फाल्गुन 23, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 621/सत्रह-वि-1--1 (क) 16-1995

लखनऊ, 14 मार्च, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 14 मार्च, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1995)

["भारत का संविधान" के अनुच्छेद 198 के अधीन उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित]

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) (अधिनियम), 1995 कहा जायगा।

(2) यह 13 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 8 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8 में, उपधारा (4) में, शब्द 'पांच रुपये' के स्थान पर शब्द 'पन्द्रह रुपये' रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
प्रमुख सचिव।

No. 621 (2)/XVII-V-1—1(KA) 16—1995

Dated Lucknow, March 14, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 1995.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1995

(U. P. ACT No. 10 of 1995)

[As passed by both Houses of the Uttar Pradesh Legislature] under Article 198 of the Constitution of India]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 13, 1995.

Amendment of section 8 of U. P. Act no. 24 of 1964

2. In section 8 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (4) for the words "five rupees" the words "fifteen rupees" shall be *substituted.*

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhyadesh, 1995 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all mateiral times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 313 सा० विधा०--(4099)--1995--850 (मेक०)।